निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक c-695/बा0वि0परि0/पो0 एवं स्वा0/2020–21 दिनांक 12 नवम्बर, 2020

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्या 19/2020/2591/58–1–2020–2/1(116)17 टी0सी0 दिनांक–01.10.2020 के क्रम में प्रदेश के समस्त बाल विकास परियोजना के आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकास खण्ड स्तर पर उत्पादन की वांछित अवस्थापना स्थापित होने तक ड्राई टेक होम राशन निर्धारित मानकों के अनुसार गठित महिला समूहों द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्तमान में तृतीय त्रैमास के दो माह का पुष्टाहार वितरण प्रक्रिया में है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में इस नई व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण हेतु DIA के नाम से पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर वर्तमान में किये जा रहे पुष्टाहार वितरण की आख्या एवं अगले त्रैमास हेतु मांग पत्र निर्गत करने हेतु समस्त केन्द्रों का डेटा फीडिंग एवं करेक्शन किया जाना है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि:

1. वर्तमान में 72,211 इन्ट्रीज त्रुटिपूर्ण पायी गयी है जिनमें त्रुपिटपूर्ण अथवा डुप्लीकेट आंगनबाड़ी कोड, आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मोबाइल नम्बर भरा गया है। इस डेटा की करेक्शन हेतु कृपया अपने स्तर से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को निर्देशित करें कि वे दिये गये लिंक (https://icdsup.csccloud.in) पर लॉगिन कर संलग्न प्रक्रिया के अनुसार उक्त डेटा को सही कर अपलोड करें। यह कार्य निश्चित रूप से दिनांक 20.11.2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस सम्बन्ध में यदि कोई आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण एवं DEMO हेतु दिनांक 18.11.2020 को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ एक वी0सी0 भी आयोजित की गयी है। इसके अतिरिक्त आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 18001805500 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
2. तृतीय त्रैमास के प्रथम माह के सम्पन्न वितरण की आख्या दिनांक 18.11.2020 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड की जानी है। इस हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

20

पृष्ठांकन संख्या /तदनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक